भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2956
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2020

ई-क्लास हेतु उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं

2956. श्री तालारी रंगैय्याः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी नई किफायती संचार योजना को आरंभ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार ऑनलाइन ई-क्लासों के लिए सभी सरकारी विद्यालयों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रणाली से जोड़ने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलों की परिकल्पना की गई है:

(i) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के चरण-2 के अंतर्गत, सरकार ने मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2217 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।

(ii) कवर रहित सीमा क्षेत्रों, लद्दाख और कारगिल क्षेत्र और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ कवर रहित गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना।

(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चेन्नै और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल बिछाना।

(v) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 223) के साथ-साथ कवर न किए गए गांवों को कवर करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना।

(ख) और (ग) देश की सभी ग्राम पंचायतों (2,50,000 लगभग) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के भाग के रूप में, सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई अथवा अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड अभिगम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम छोर की कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने दिनांक 20.12.2019 को ग्राम पंचायत स्तर के सरकारी संस्थानों को उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक कार्यनीति का अनुमोदन किया है। तदनुसार, जहां अन्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि स्कीमों के अंतर्गत वाई-फाई अभिगम केंद्र प्रदान किए गए है उन्हे छोड़ कर सभी राज्यों में भारतनेट के चरण-I की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों में एक वाई-फाई अभिगम केंद्र, और सरकारी संस्थानों (सरकारी विद्यालयों सहित) में पाँच फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए जा रहे है।

*****